न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

22-5-24

T.D.R. Amber
निर्णयानुसार प्रकरण
की पालना करावें।
BSW
31.05.24

गीता देवी बनाम अशोक वगै.

निष्पादन (इजराय) आवेदन

प्रार्थना पत्र बाबत माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार पालना (इजराय) किये जाने

मान्यवर जी,

प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

1 यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल से दिनांक 20.03.24 को निर्णय होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुका है।

2 यह कि प्रस्तुत प्रकरण मान्य न्यायालय क समक्ष इजराय का विचाराधीन है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.03.2024 में पारित आदेशानुसार प्रकरण के पालना की जाकर प्रार्थी द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत इजराय मे वर्णित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2017 की पालना की जानी शेष है इसलिए माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.03.2024 में वर्णित निर्देशानुसार पालना की जाकर इजराय की जानी आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय मे वर्णितानुसार प्रकरण मे पालना कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

दिनांक

संलग्न– उक्तानुसार

प्रार्थी

कमल शर्मा, प्रकाश शर्मा
पुत्रान डूंगर मल शर्मा
निवासी–6/378, विधाधर नगर,
जयपुर राज.

136

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर तारीख

निगरानी/टी.ए./328/2023/जयपुर
कमल शर्मा बनाम अशोक

न्यायालय - राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
एकलपीठ (मु0जयपुर)
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित -
श्री मुकेश कुमार शेरावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक **20.03.2024**

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा प्रकरण संख्या-32/2022 बउनवानी गीता देवी बनाम अशोक में पारित आदेश दिनांक 14-12-2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विवादित खसरा नम्बर 342/3 की मौके के कब्जे की रिपोर्ट तहसीलदार, आमेर से तलब की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण बहस सुनी।

विद्वान अधि~~वक्ता~~ प्रार्थी निगराकार का तर्क है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1342/3 रकबा 0.98 हैक्टयर भूमि के बारे में विभाजन का वाद दिनांक 24-4-2017 को डिकी हुआ। उसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां प्रस्तुत होने पर निर्णय व डिकी दिनांक 8-8-2017 को खारिज की गयी और द्वितीय अपील भी मण्डल हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-6-2018 से खारिज की जा चुकी है। अब केवल मात्र डिकी की पालना में इजराय की जानी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का जो आदेश दिया गया हे वह विधि विरूद्ध है क्योंकि पुनः कुरेजात रिपोर्ट अथवा मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई जा सकती और ना ही ऐसा आदेश दिया जाना विधिसम्मत् है। अतः उक्त आदेश को अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 342/3 रकबा 0.98हैक्टयर का बंटवारे का वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा दिनांक 24-4-2017 को डिकी किया गया और इस आदेश में यह उल्लेख किया गया कि तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा डिकी का भाग रहेगा और उस निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां की, जो अपील निर्णय व डिकी दिनांक 8-8-2017 से खारिज की गयी। इस निर्णय व डिकी के विरूद्ध मण्डल हाजा में अपील पेश की गयी जो मण्डल हाजा द्वारा भी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर तारीख

निगरानी/टी.ए./328/2023/जयपुर
कमल शर्मा बनाम अशोक

निर्णय दिनांक 11-6-2018 से खारिज की गया। अर्थात् बंटवारे के वाद की डिक्री अन्तिम हो गयी और उस डिक्री की पालना किया जाना शेष है। इस आदेश दिनांक 14-12-2022 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया है कि वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के उपरान्त कही यह तय किया जावेगा कि तनकी कायम करनी है या नहीं। जब एक बार मण्डल हाजा तक डिक्री की पुष्टि हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में दुबारा तनकी बनाये जाने के लिए मौका रिपोर्ट मंगवावये जाने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती है। केवल मात्र जो डिक्री दिनांक 24-4-22017 की है, उसकी पालना की जानी शेष है और उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी है। इसलिए पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने का जो आदेश दिनांक 14-12-2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा प्रकरण संख्या-32/2022 वउनवानी गीता देवी बनाम अशोक में पारित आदेश दिनांक 14-12-2022 अपास्त किया जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 20.3.24

(गणेश कुमार)
सदस्य

28/3/24

28/3/24

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(24) (18)

(बी. 20 रुल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत बलदेव राम धोजक आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी आमेर मुकाम जयपुर

मु0नं0 313/2006

1. गीता देवी धर्मपत्नी डूंगरमल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 6/378 विधाधर नगर जयपुर।
(दौराने वाद पत्र मृत)

1/1 कमल शर्मा पुत्र श्री डूंगरमल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 6/378 विधाधर नगर जयपुर।
1/2 प्रकाश शर्मा पुत्र श्री डूंगरमल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 6/378 विधाधर नगर जयपुर।

....................वादीगण

बनाम

1. अशोक पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. निरंजन पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. मु0 मन्नी बेवा लक्ष्मीनारायण जाति जोगी निवासी ग्राम दौलतपुरा कोटडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
(दौराने वाद पत्र मृत)

3/1 छिगनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
3/2 बुद्वीप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जोगी निवासी ग्राम दौलतपुरा कोटडा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर पता– तहसील कार्यालय आमेर जिला जयपुर।

.............प्रतिवादीगण

वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय — दिनांक 24/05/17

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी आमेर व हाजरी वकील वादी मिमजामिन मुद्दई रुबरु मिमजामिन मुद्दा यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व बहक वादी डिक्री किया जाता है। वादी का वाद ग्राम दौलतपुरा कोटडा के खसरा नम्बर 1342 रकबा 1.45 हैक्ट0 का विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है।

1. गीता देवी पत्नि डूंगरमल शर्मा कौम ब्राहम्ण निवासी प्लाट नं0 6/378 विधाधर नगर जयपुर के हिस्से में खसरा नम्बर 1342/3/1रकबा 0.3920 हैक्ट0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।
2. अशोक पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 2450/5880, निरंजन पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 2450/5880, छिगनालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 490/5880 , बुद्विप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 490/5880 कौम जोगी सा देह के हिस्से में खसरा नम्बर 1342/3/2 रकबा 0.5880 हैक्ट0 भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर उक्तानुसार खातेदारान कि पृथक–पृथक खातेदारी राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर अलग–अलग खाते व लगान कायम करेंगें। कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 21.05.2014 के साथ प्राप्त नक्शा इस आदेश का भाग रहेगा। मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत आज दिनांक 24/5/17 को जारी किया गया।

मोहर

(बलदेव राम धोजक)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2	–
स्टाम्प वकालत नामा	2	–	स्टाम्प वकालत नामा	2	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–		–	–
मीजान	4	–	मीजान	4	–

मोहर

(बलदेव राम धोजक)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर मु0 जयपुर